Phone-0120-2783617
Fax-0120-2783618
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांकः 3684 / 14–1, दिनांक, गाजियाबाद 21 फरवरी, 2022.

सेवा में,

क्षेत्रीय वनाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषयः– जनपद गाजियाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–24 (नई सं0–09) (दिल्ली–लखनऊ रोड (ए0के0जी0 इंजीनियरिंग कॉलेज से गंगा नहर तक) (दायीं पटरी) के कि0मी0 27.500 से कि0मी0 33.350, तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–709बी0 (दिल्ली–बागपत रोड (लोनी इंटर कॉलेज के सामने से निकट कैनरा बैंक, लोनी तक (बायी पटर)) के कि0मी 15.600 से कि0मी0 16.00 तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–709बी0 (दिल्ली–बागपत रोड (चौधरीयव सिंह द्वार के सामने से निकट आवास–विकास परिषद ऑफिस, मंडोला, गाजियाबाद तक) (बायी पटरी)) के0 कि0मी0 19.300 से कि0मी0 22.200 तक कुल लम्बाई 9.15 कि0मी0 एवं 0.4575 है0 तक सड़क के किनारे पर ओपल ट्रैंच / एच0डी0डी0 तकनीक के माध्यम से भूमिगत 125 एमएम व्यास की एम0डी0पी0ई0 गैस पाइपलाईन बिछाए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।. **(Proposal No. FP/UP/Pipeline/150710/2021).**

संदर्भः– Proposal No. FP/UP/Pipeline/150710/2021

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित जनपद गाजियाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–24 (नई सं0–09) (दिल्ली–लखनऊ रोड (ए0के0जी0 इंजीनियरिंग कॉलेज से गंगा नहर तक) (दायीं पटरी) के कि0मी0 27.500 से कि0मी0 33.350, तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–709बी0 (दिल्ली–बागपत रोड (लोनी इंटर कॉलेज के सामने से निकट कैनरा बैंक, लोनी तक(बायी पटर)) के कि0मी 15.600 से कि0मी0 16.00 तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–709बी0 (दिल्ली–बागपत रोड (चौधरीयव सिंह द्वार के सामने से निकट आवास–विकास परिषद ऑफिस, मंडोला, गाजियाबाद तक) (बायी पटरी)) के0 कि0मी0 19.300 से कि0मी0 22.200 तक कुल लम्बाई 9.15 कि0मी0 एवं 0.4575 है0 तक सड़क के किनारे पर ओपल ट्रैंच / एच0डी0डी0 तकनीक के माध्यम से भूमिगत 125 एमएम व्यास की एम0डी0पी0ई0 गैस पाइपलाईन बिछाए जाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।. **(Proposal No. FP/UP/Pipeline/150710/2021)** का भाग–1 स्वीकृति उपरान्त प्राप्त हुआ है। अतः प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर जांच आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

1. विषयांकित प्रस्ताव में प्रस्तावक विभाग को कुल कितनी भूमि की आवश्यकता है? (है0 में)
2. प्रस्ताव वन भूमि जिसकी आवश्यकता प्रयोक्ता अभिकरण को है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा प्रस्ताव में आवेदित भूमि न्यूनतम है प्रमाण–पत्र दें।
3. प्रस्तावित भूमि / क्षेत्र में कोई Rare/Endandgered/unique वनस्पति या वन्य जीव पाये जाते है? यदि हॉ तो उसका विवरण दें।
4. प्रश्नगत क्षेत्र में क्या कोई संरक्षित पुरातत्विक / विरासत स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान या कोई महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में है? यदि हॉ तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र का विवरण दें।
5. यूजर एजेंससी द्वारा एफ0सी0ए0 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है, अथवा किया गया है? यदि हॉ तो विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
6. उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने हेतु अन्य कोई विशिष्ट विवरण देना चाहें।
7. विषयांकित प्रस्ताव में प्रयुक्त होने वाली 0.4575 हे0 के स्थान पर दोगुने अवनत वन में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन प्रस्तुत करें एवं स्थल की जी0पी0एस0 रिडिंग भी उपलब्ध करायें।
8. प्रस्तावक विभाग के साथ स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
9. प्रकरण में बाधक वृक्षों का प्रजातिवार विवरण संलग्न करें।
10. प्रस्ताव के साथ संलग्न मानचित्र में 1:50000 के मानचित्र में तीन रूट एलाईन्मैन्ट नहीं दिखायें गये हैं। अतः तदानुसार तीन रूट एलाईन्मैन्ट का मानचित्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक– 3684 / 14–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– Ajai Tyagi Sr. Vice President (Projects) Indraprastha Gas Ltd. IGL Bhawan Plot No. – 4 Coommunity Center, Sec-9 R.K. Puram New Delhi-110022 को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप क्षेत्रीय वनाधिकारी, गाजियाबाद के साथ स्थल का निरीक्षण कर बिन्दु सं0– 7 एवं 10 की सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद